प्रेस नोट - थाना तिलहर

जनपद शाहजहाँपुर

दिनाँक –19.07.2026

“थाना तिलहर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार ।“

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित वारण्टी / अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, महोदया के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी तिलहर के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक थाना तिलहर के नेतृत्व में थाना तिलहर पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 17.07.2026 को वादी द्वारा थाना तिलहर पर एक तहरीर प्रस्तुत की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि अभियुक्तगण द्वारा उसकी पुत्री, उम्र करीब 24 वर्ष से दहेज में मोटरसाइकिल एवं अन्य सामान की मांग की जाती थी तथा मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित किया जाता था, उसके साथ गाली-गलौज की जाती थी एवं जान से मारने की धमकी दी जाती थी। साथ ही आरोप लगाया गया कि पुत्री के द्वारा वादी की पुत्री की हत्या कर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना तिलहर पर मु0अ0सं0 390/2026, धारा 85/80(2)/352/351(3) बीएनएस एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मुकदमे में वांछित अभियुक्तगण 1. भोजराज सिंह उर्फ गुड्डू पुत्र शंकर सिंह, उम्र करीब 55 वर्ष, 2. शक्तिजीत सिंह उर्फ गोलू पुत्र भोजराज सिंह उर्फ गुड्डू, उम्र करीब 24 वर्ष तथा 3. सुधा पत्नी भोजराज सिंह उर्फ गुड्डू, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासीगण ग्राम पिपरौली, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर को मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 19.07.2026 को उनके आवास ग्राम पिपरौली से नियमानुसार समय करीब 11:45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है तथा उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

1. भोजराज सिंह उर्फ गुड्डू पुत्र शंकर सिंह, उम्र करीब 55 वर्ष
2. शक्तिजीत सिंह उर्फ गोलू पुत्र भोजराज सिंह उर्फ गुड्डू, उम्र करीब 24 वर्ष
3. सुधा पत्नी भोजराज सिंह उर्फ गुड्डू, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासीगण ग्राम पिपरौली थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण -

- मु0अ0सं0 390/26 धारा 85/80(2)/352/351(3) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना तिलहर।

गिरफ्तारी का दिनाँक,समय व स्थान:-

- दिनांक 19.07.2026 को समय करीब 11:45 बजे अभियुक्तगण के मसकन से।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक, श्री प्रिंस शर्मा, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 मोहित कुमार
3. म0उ0नि0 नेहा सैनी
4. का0 दीपक राघव
5. रि0आ0 विक्रान्त सिंह